(16)

10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

III/निगरानी/अनूपपुर/भू०रा/2017/3760

1.सूर्य प्रताप सिंह आयु 53 वर्ष आत्मज स्वर्गीय लखऊ सिंह

2.महेन्द्र प्रताप सिंह आयु 41 वर्ष आत्मज स्वर्गीय लखऊ सिंह

3. ऊषा सिंह आयु 44 वर्ष आत्मज स्वर्गीय लखऊ सिंह

तीनो निवासी ग्राम सीतापुर थाना तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

..........पुनरीक्षणकर्तागण / आवेदकगण

प्रति

आनंदराम आयु 57 वर्ष आत्मज दुर्रा कोल निवासी ग्राम बरबसपुर थाना तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

..........उत्तरदाता / अनावेदक

विनोद भार्गव एडवोकेट अनूपपुर 09-10-2017

<u>न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर म0प्र0 के रा0 प्र0क्र0–04 / अ–23 / 15–16 आनंदराम विरुद्ध महेन्द्र प्रताप सिंह वगैरह आदेश दिनांक 13 / 02 / 2017 एवं न्यायालय श्रीमान कलेक्टर अनूपपुर जिला अनूपपुर म0प्र0 के रा0प्र0क्र0–03 / अपील / 16–17 सूर्य प्रताप सिंह वगैरह विरुद्ध आनंदराम आदेश दिनांक 03 / 10 / 2017 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959।</u>

अ. प्रकरण के तथ्यः–

1. यहकि न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर म0प्र0–जिसे संक्षिप्तता की दृष्टि से आगे ''विचारण न्यायालय'' के नाम से संबोधित किया जायेगा–के समक्ष उत्तरदाता ने दिनांक 13 / 03 / 2016 को एक इस आसय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम बरबसपुर पटवारी हल्का बरबसपुर राजस्व निरीक्षक मंडल फुनगा तहसील व जिला अनूपपुर स्थित आराजी खसरा क्रमांक 378 रकवा 0.129 हेक्टेयर ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग./अनूपपुर/भू.रा./2017/3760 सूर्यप्रताप विरूद्ध आनन्द आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक सूर्यप्रताप सिंह व अन्य की ओर से अभिभाषक श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित । अनावेदक आनंदराम की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 2. यह निगरानी आवेदकगण के द्वारा कलेक्टर अनूपपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 03/अपील/2016-17 सुर्यपताप सिंह वगैरह विरूद्ध आनंदराम में पारित आदेश दिनांक 03-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-10-2017 को प्रस्तुत की गई थी । 3. उक्त निगरानी में कलेक्टर अनूनपुर ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-23/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-02-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपीलार्थी सुर्यप्रताप सिंह वगैरह के द्वारा अपील प्रस्तुत अस्वीकार की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार - "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित	

16-10-18

किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''

5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. इस प्रकरण में प्रारंभ दिनांक से ही समय-समय पर स्थगन जारी किया गया है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में संशोधन के पश्चात उक्त प्रकरण में सुनवाई का अधिकार आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को है । चुंकि प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जा रहा है । अत: आयुक्त शहडोल के न्यायालय में पेशी दिनांक 18-12-2018 तक इस न्यायालय द्वारा पूर्व जारी स्थगन यथास्थिति रखा जाता है ।

2/2

8. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

9. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

6.x.18

(आर.के.जैन)
सदस्य